कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14( )2014/बारां रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं/ 393 दिनांक 09/02/24

विशेषाधिकारी,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः– जनपद बारां में आर.आई.डी.एफ. वी.सी. योजना के तहत ढ़िकोनिया से तलावड़ा तक सड़क निर्माण हेतु 7.50 है0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति पालना रिपोर्ट बाबत्।
(प्रस्ताव सं. FP/RJ/ ROAD/ 6999/2014)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीयं कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के पत्र क्रमांक 8बी/राज/06/2015/एफ.सी./222 दि. 04.08.2016

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्रांक 189 दिनांक 16.01.2024 से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र.स.	आक्षेप	सूचना
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 7.50 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 9,68,625/–(7.5 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तानान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि के छः माह में आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या–2 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 7.5 हैक्टेयर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु राशि वर्तमान दर से राशि 1485000/– रू. कैम्पा मद में दिनांक 06.09.2023 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। गैर वनभूमि का नामान्तरण/हस्तांतरण विभाग के नाम किया जा चुका है। प्राप्त गैर वनभूमि का आरक्षित/संरक्षित कर लिया जावें।
3	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार वर्तमान दरों पर शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 7183350/– रू. कैम्पा मद में दिनांक 06.09.2023 को चालान

	वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये 46,95,000(7.5 है0 X Rs. 6.26 प्रति है0) जमा की जावेगी। इसके उपरान्त पावती की छायाप्रतियां जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0जी0 एस0/एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। CA - 1485000/- NPV - 7183350/- Total 8668350/-
5	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलरो से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।	प्रस्तवित वन क्षेत्र का सीमाकंन सीमा स्तम्भों द्वारा नियमानुसार प्रयोक्ता अभिकरण (User Agency) द्वारा किया जायेगा। (अण्डर टेकिंग संलग्न है।)
6	प्रयोक्ता अभिकरण मक डिस्पोजल योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करावे।	मक डिस्पोजल योजना मय अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) सैन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आई.आर.सी. के मानको के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या –27/2015 बाबुलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण करेगा तथा इस सडक में Median नहीं है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।

11	भारतसरकार के पत्रांक 7–23/2012 /एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	समाचार पत्र की प्रति संलग्न कर दी गई है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2014/बारां रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं/ 394 दिनांक 09/02/24

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Online Help/Query

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
- Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
- Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.
- Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
- Paid : This icon shows that the payment has been made.

◉ Proposals received on or after 15th July 2014 ○ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Jaipur

Select State : Rajasthan

Select User Agency : Select

Payment Status : ◉ Paid ○ Unpaid ○ All

Bank Name : --Select All--

Mode of Payment : --Select All--

Transaction Date (From) :

Transaction Date (To) :

Enter value for Search : 6999

SEARCH

Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/RJ/ROAD/6999/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/6999/2014) Road from Dhikoniya to Talawara	ROAD699920147840	04 Aug 2016	CA: 1485000/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 7183350/-, NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- Total: 8668350/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 11 May 2023 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 29 Jul 2023 Transaction Date: 07 Sep 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/300420230952250567_FPRJROAD69992014_User_Fund_Demanded_63P76.p Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD699920147840)

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

TTPS://DATA.GOV.IN/) (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

TTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
rms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility atement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccfdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2023–24/ 189 दिनांक: 16.1.2024

निमित्तः–

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर

विषयः जनपद बारां में आर0आई0डी0एफ0(वी0सी0) योजना के तहत ढिकोनिया से तलावड़ा तक सड़क निर्माण हेतु 7.5 हैक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं 62 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंगः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंल लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज0/06/05/2015/एफ.सी./222 दिनांक 04.08.2016 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्ता विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र से भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में उप वन संरक्षक बारां द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से मांग पत्र अनुसार बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्राप्त कर संकलित कर पत्र संख्या एफ( )एफ.सी.ए./उ.व.स./2023–24/104 दिनांक 02.01.2024 से कार्यालय में प्रेषित की है, जो निम्नानुसार हैः–

1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त संख्या–1 तहत नभूमि की वैधानिक स्थिति में काई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता **संलग्न** की है। साथ ही 7.5 है0 वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई जिसकी जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति **संलग्न** है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 7.50 हैक्टर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 9,68,625/– (7.5 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0)जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तानान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि के छः माह में आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या–2 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 7.5 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु राशि 7.5 है0 X 198000/- की दर से राशि 1485000/– रू कैम्पा मद में दिनांक 06.09.2023 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। जिसकी प्रति **संलग्न** है।
3	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षे (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र **संलग्न** है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये–46,95,000(7.5 है0 X Rs. 6.26 प्रति है0) जमा गी जाएगी।	शर्त संख्या–4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)2020/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफसी दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये 46,95,000 (7.5 है0 X Rs. 6.26 प्रति है0)थी।

Signature valid
RajKaj Ref
5334047
Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.01.15 19:24:26 IST
Reason: Approved

31/1

31/1/24

31-1-24

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 693 दिनांक 8/9/2023

श्रीमान् उपवन संरक्षक,
बारां।

विषयः– ढिकोनिया से तलावड़ा तक सड़क के निर्माण हेतु 7.5 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु।
प्रस्ताव सं.– FP/RJ/Road/6999/2014
प्रसंगः– श्रीमान् का पत्रांक एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/5131 दिनांक 11.04.2023 एवं सैद्धांतिक स्वीकृति क्रमांक 8बी/राज0/06/05/2015/एफ.सी./222 दिनांक 04.08.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित से सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.		
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 7.5 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमावन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 7.50 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये–9,68,625/– (7.5 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 7.50 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपनण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु श्रीमान् उपवन संरक्षक बारां के पत्रांक 5131 दिनांक 11.04.2023 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वेज परिवर्तित होने के कारण राशि 7.50 है0 X 198000/– की दर से राशि 1485000/– रू. कैम्पा मद में दिनांक 06.09.2023 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 7.50 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई है। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
3.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है.) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	डिजीटल मानचित्र (103.4 है.) को वन विभाग में जमा करा दिया गया है। (प्रति संलग्न)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये–46,95,000 (7.5 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) जमा की जाएगी। इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् एन.पी.वी., क्षतिपूरक	शर्त सं. 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये–46,95,000 (7.5 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) थी, परन्तु श्रीमान् उपवन संरक्षक बारां के पत्रांक 5131 दिनांक 11.04.2023 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा NPV की दर परिवर्तित होने के कारण राशि 7.50 है0 X 957780/– की दर से राशि 7183350/– रू. कैम्पा मद में दिनांक 06.09.2023 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

	वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	
5.	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा यह सीमांकन 4" फीट उंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक, डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	यह सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक–16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	सा.नि.वि. यह वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करता है कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक–16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में विभाग स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण करेगा तथा इस सड़क में Median नहीं है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगी।	शर्त संख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
9.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012 – एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णय दिनांक 07.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।	शर्त संख्या 9 श्रीमान् उपवन संरक्षक बारां के पत्रांक 5131 दिनांक 11.04.2023 के कम में दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करा दिया गया है। (प्रति संलग्न) 1. राजस्थान पत्रिका दिनांक 26.07.2023 2. द टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 07.09.2023

भवदीय

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 368

Village: THAKAI, Tehsil : ANTA, Distt. BARAN

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 1173,1175

Village: BORSON, Tehsil : ANTA, Distt. BARAN

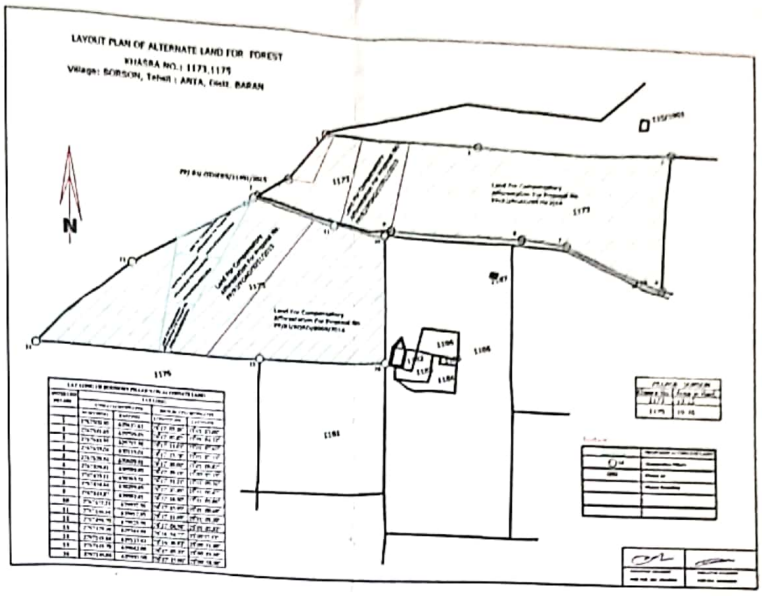

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 39,41,42,114,115,116,138,149

Village: BILANDI, Tehsil : ANTA, Distt. BARAN

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 693 दिनांक 8/9/2023

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– ढिकोनिया से तलावड़ा तक सड़क के निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :– FP/RJ/Road/6999/2014

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 एवं 2 की अनुपालना में वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

CS

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 653

दिनांक 8/9/2023

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– ढिकोनिया से तलावड़ा तक सड़क के निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :– FP/RJ/Road/6999/2014

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

CS

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 693 दिनांक 8/9/2023

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– ढिकोनिया से तलावड़ा तक सड़क के निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :– FP/RJ/Road/6999/2014

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलक पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

CS

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 693 दिनांक 8/9/2023

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– ढिकोनिया से तलावड़ा तक सड़क के निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :– FP/RJ/Road/6999/2014

प्रमाणित किया जाता है कि ढिकोनिया से तलावड़ा सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

CS

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 693 दिनांक 8/9/2023

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– ढिकोनिया से तलावड़ा तक सड़क के निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :– FP/RJ/Road/6999/2014

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

CS

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Tv. No. 31557
06-09-2023

Reference No :47303544

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Month/Year : Jul/2023

Department Code : 65 Department Name : Public Works Department OfficeID : 18436

Detailed Wam bill of : Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD (Dist.BARAN)(18436)

Bill For Works Payment : WAM Payment	Reference No : 3709117	Wam Reference No : #1/3 of 761125	
Division Name : PWD SHAHBAD	Division Code : 120	Bill No : 47303544	
Date : 31/07/2023	Demand No : 44	DDOCode : 18436	
TAN : JDHO01436B	Object Head : 74	Budget Head : 5054-04-800-02-01/SF/V	
SI : 0.00 NonPlan : 0.00	NA : 0.00	ContigencyHead :	

To,
The Treasury/Sub Treasury Officer,SHAHBAD
Please Order to pay ₹ 6068300 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

वरीय लेखाकार

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड शाहाबाद
आई० डी० कोड नं० - 18436

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limites of online allotted budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Seal)/Digital Signature 9414286802

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० डी० कोड नं० - 18436

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction Amt
1	Rajasthan Campa Head Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856169990784 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	6857179.00 6068300.00	3709117	2059-80-001-04-01 485464.00 2059-80-052-04-01 121366.00 3054-03-337-01-03 182049.00

Gross Amount Rs. 6857179.00 B.T.Amount: Rs. 788879.00 Net Amount:Rs. 6068300.00

Amount In Words : SIXTY LAKH SIXTY EIGHT THOUSAND THREE HUNDRED Only

Sign Of DDO with Seal/e-Sign/Digital Sign of DDO

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड शाहाबाद
आई० डी० कोड नं० - 18436

For Accountant General Office

Admitted ₹
Objected ₹

Auditor Supdt Gaz.Officer

Treasury Voucher

No: Date:

Pay ₹ : 6857179.00

(In Words) : SIXTY EIGHT LAKH FIFTY SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED SEVENTY NINE ONLY

B.T. Heads : 788879.00

Total : 788879.00Only
(In Cash) ₹ : 6068300.00
(In Words) : SIXTY LAKH SIXTY EIGHT THOUSAND THREE HUNDRED ONLY

Auditor AAO-I/II CS Treasury/Sub Treasury Officer ESign

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

Disclaimer: All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/ she is solely responsible for it.
S/W Courtsey National informatics centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in) Group Name:Gramin Gaurav Path

Forward Time
Print Date & Time:31/07/2023 04:55 PM

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Tv.no. 2692 c
14.08.2023

Reference No :47303548

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Month/Year : Jul/2023

Department Code 65 | Department Name : Public Works Department | OfficeID : 18436

Detailed Wam bill of : Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD (Dist.BARAN)(18436)

Bill For Works Payment	: WAM Payment	Reference No	: 3709118	Wam Reference No	: #2/3 of 761125
Division Name	: PWD SHAHBAD	Division Code	: 120	Bill No	: 47303548
Date	: 31/07/2023	Demand No	: 51	DDOCode	: 18436
TAN	: JDHO01436B	Object Head	: 74	Budget Head	: 5054-04-789-05-00/SF/V
SF	: 0.00 NonPlan : 0.00	NA	: 0.00	ContigencyHead	:

To,
The Treasury/Sub Treasury Officer,SHAHBAD
Please Order to pay ₹ 1473730 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk
बड़ोय Sign of Clerk

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० डी० कोड नं० 18436

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limites of online allotted budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Seal)/e-Signature/Digital ESign of DDO
9414286802

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० डी० कोड नं०-18436

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Gross Amt
1	Rajasthan Campa Head Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856169990784 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	1665315.00 1473730.00	3709118	2059-80-001-04-01 117898.00 2059-80-052-04-01 29475.00 3054-03-337-01-03 44212.00

Gross Amount Rs. 1665315.00 | B.T.Amount: Rs. 191585.00 | Net Amount:Rs. 1473730.00

Amount In Words : FOURTEEN LAKH SEVENTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY Only

Sign Of DDO with Seal/e-Sign/Digital ESign of DDO

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड शाहाबाद
आई० डी० कोड नं०-18436

For Accountant General Office

Admitted ₹
Objected ₹

Auditor | Supdt | Gaz.Officer

Treasury Voucher
No:
Date

Pay ₹ : 1665315.00

(In Words) : SIXTEEN LAKH SIXTY FIVE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTEEN ONLY

B.T. Heads : 191585.00

Total : 191585.00Only
(In Cash) ₹ : 1473730.00
(In Words) : FOURTEEN LAKH SEVENTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY ONLY

Auditor | AAO-I/II | Treasury/Sub Treasury Officer ESign

Disclaimer All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/ she is solely responsible for it.
S/W Courtsey National informatics centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in) Group Name:5054road

Forward Time
Print Date & Time:31/07/2023 04:55 PM

CS

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

TV. No. 26927
14.08.2023

Reference No 47303550

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Month/Year : Jul/2023

Department Code 65 | Department Name : Public Works Department | OfficeID : 18436

Detailed Wam bill of Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD (Dist.BARAN)(18436)

Bill For Works Payment	WAM Payment	Reference No :	3709119	Wam Reference No :	#3/3 of 761125
Division Name	PWD SHAHBAD	Division Code :	120	Bill No :	47303550
Date	: 31/07/2023	Demand No :	30	DDOCode :	18436
TAN	: JDHO01436B	Object Head :	74	Budget Head :	5054-04-796-07-00/SF/V
SF	: 0.00 NonPlan : 0.00	NA :	0.00	ContigencyHead :	

To,
The Treasury/Sub Treasury Officer,SHAHBAD
Please Order to pay ₹ 1126320 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk | Sign of Divisional Officer

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० डी० कोड नं०-18436

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim and the bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limits of allotted budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Seal)/e-Sign/Digital ESign of DDO
9414286802

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० डी० कोड नं०-18436

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction Amt
1	Rajasthan Campa Head Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856169990784 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	1272742.00 1126320.00	3709119	2059-80-001-04-01 90106.00 2059-80-052-04-01 22526.00 3054-03-337-01-03 33790.00

Gross Amount Rs. 1272742.00 | B.T.Amount: Rs. 146422.00 | Net Amount:Rs. 1126320.00

Amount In Words ELEVEN LAKH TWENTY SIX THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY Only

Sign Of DDO with Seal/e-Sign/Digital ESign of DDO

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० डी० कोड नं०-18436

For Accountant General Office

Admitted ₹
Objected ₹

Auditor | Supdt | Gaz.Officer

Treasury Voucher
No: | Date:

Pay ₹ : 1272742.00

(In Words) : TWELVE LAKH SEVENTY TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED FOURTY TWO ONLY

B.T. Heads : 146422.00

Total : 146422.00Only
(In Cash) ₹ : 1126320.00
(In Words) : ELEVEN LAKH TWENTY SIX THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY ONLY

Auditor | AAO-I/II | Treasury/Sub Treasury Officer ESign

Disclaimer All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/ she is solely responsible for it.
S/W Courtesy National Informatics centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in) Group Name:Gramin Gaurav Path ST

Forward Time:
Print Date & Time:31/07/2023 04:55 PM

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

Form R P W A 28

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

Bill No. & Date.

PayManager Ref. Id(s): **3709117, 3709118, 3709119**

BillRef No. **1191**, Dated: **31/07/2023**

Division Name: **Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD (Dist.BARAN)**

Division Code: **18436**

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: **Dikoniya-Talawada to Peepalda, Dikoniya-Talawada to Peepalda, Dikoniya-Talawada to Peepalda**

Vendor Name: **Rajasthan Campa Head**

Sanction/Autorization/BillNo: **6169990784** Dated: **29/07/2023**

Reason: **N/a**

Bank AccountNo.- **150856169990784**

Bank IFSC Code: **UBIN0996335**

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: **86,68,350**
(In Words):**Rupees Eighty Six Lakh Sixty Eight Thousand Three Hundreds Fifty Only**

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	5054-04-800-02-01-74-V-P	6068300	WorkId: 148215
2	5054-04-789-05-00-74-V-P	1473730	WorkId: 148215
3	5054-04-796-07-00-74-V-P	1126320	WorkId: 148215

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3709117	5054-04-800-02-01-74-V-P		6068300	WorkId: 148215
	Payment Through Treasury	6068300		
	5054-04-800-02-01-74-V-P		788879	Prorata WorkId: 148215
	2059-80-001-04-01-98-V-P	485464		Prorata
	2059-80-052-04-01-98-V-P	121366		Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P	182049		Prorata
3709118	5054-04-789-05-00-74-V-P		1473730	WorkId: 148215
	Payment Through Treasury	1473730		
	5054-04-789-05-00-74-V-P		191585	Prorata WorkId: 148215
	2059-80-001-04-01-98-V-P	117898		Prorata
	2059-80-052-04-01-98-V-P	29475		Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P	44212		Prorata
3709119	5054-04-796-07-00-74-V-P		1126320	WorkId: 148215
	Payment Through Treasury	1126320		
	5054-04-796-07-00-74-V-P		146422	Prorata WorkId: 148215

Courtesy: https://wam.rajasthan.gov.in (Printed on 7/31/2023 4:50:31 PM)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

3709119	2059-80-001-04-01-98-V-P	90106	Prorata
	2059-80-052-04-01-98-V-P	22526	Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P	33790	Prorata

Net Amount Payable In Figures: **86,68,350**

Net Amount Payable In Words:**Rupees Eighty Six Lakh Sixty Eight Thousand Three Hundreds Fifty Only**

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

वरीय लेखाकार
सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद
Signature of DA with seal

For use in Divisional Office
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
अर्ब. बी. कोड नं. 10436
Signature of DO with seal

CS

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Courtesy: https://wam.rajasthan.gov.in (Printed on 7/31/2023 4:50:31 PM)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-07-2023

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169990784
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/5/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin-325217Baran
Amount(in Rs)	8668350/-

Amount in Words :Eighty-Six Lakh Sixty-Eight Thousand Three Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169990784 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-07-2023

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169990784
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/5/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin-325217 Baran
Amount(in Rs)	8668350/-

Amount in Words :Eighty-Six Lakh Sixty-Eight Thousand Three Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169990784 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:**After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank**

CS

Passed for Rs 8668350/- only
[Rs Eighty Six Lac Sixty Eight Thousand Three Hundred Fifty only]

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
आई० डी० कोड नं०-18436

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद

क्रमांक : 526 दिनांक : 31/07/2023

कार्यालय आदेश

इस खण्ड कार्यालय द्वारा Rajasthan Campa Head के बिल प्राप्त संख्या 6169990784 दिनांक 29.09.2023 राशि रू. 8668350.00 को बजट मद 5054-04-800-02-01-74, 5054-04-789-05-00-74 and 5054-04-796-07-00-74 VP के Dikoniya-Talwada to Peepalda की स्वीकृति में वन विभाग Clearance के तहत् भारित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

क्रमांक : 526 दिनांक : 31/07/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:–

1. उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय शाहाबाद ।
2. रक्षित पत्रावली ।

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

CS

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व/2014/ [illegible] दिनांकः– [illegible] फरवरी, 2017

— आदेश :—

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 है0 गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रस्तावानुसार तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र कमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ–4(5)(30)राजस्व/2014/5614–20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट–अपार्ट) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र कमांक एफ( )एफ.सी.ए./उपस/14–15 /16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक/एफ–4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528–29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(286)राज.–3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न0	रकबा (है0)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड
			41	5.00	बंजड
			42	6.52	बंजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.56	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड
			138	10.81	बंजड
			149	3.63	बंजड
			8 किता	62.24	
2		सोरसन	1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1173	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 किता	38.91	
3		ताखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	103.40 है0	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व/2014/ [illegible] दिनांकः– [illegible] फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावें।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

जिला कलक्टर
बारां

हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड–शाहाबाद

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Land to be allotted to Forest Department

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectare)	Remark
1	2		3	4	6	18
	Old Cases					
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटगांव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मामोनी से मोहनपुर	2.60	
				योग	4.10	
	New Cases					
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनाखेड़ी वाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनावदा सडक	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेडा	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जैतपुरा	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	ढिकोनिया से तलावडा	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से झिरी	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिसी से रामपुर उपरेटी	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच –76 किमी. 573/0 से धुआ	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरारा	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसया	4.00	
12	Shahbad	~~Kishanganj~~ SBD	RIDF-XVII (RSAMB)	कस्बाथाना से बगनगंवा	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से सिलोरा	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाड़ा से किशनपुरा	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा डांग से पाटन	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ से रनवारी	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवारी से रनवारा	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली वाया दुर्जनपुरा	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सडक	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डियर सडक (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

D:\MY DOCUMENT\Documents and Settings\SM\September__2014\Forest\Copy of forest_information__17 Coloums_Circle Baran_11.09.2014

हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड–शाहाबाद

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया	. 1.02	
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापुरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

(सुनिल माथुर)
अधिशाषी अभियन्ता
रा०नि०वि० वृत बोरा

हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड–शाहाबाद

CS

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि सिंचाई एवं परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार 62 वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग को नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम बिलोण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि आवंटन कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगाया है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह सम्पदा गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
अन्ता	बिलोण्डी	39	13.20
		41	5.00
		43	6.52
		114	5.60
		115	9.58
		116	7.70
		138	10.81
		149	3.63
	योग	योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक (नरेन्द्र शर्मा ब.र.)

2 नाका प्रभारी 06/01/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी

2 कानूनगो

6/1/17

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड–शाहाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि सिंचाई राहत परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से भिन्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम लाखा की भिन्नानुसार अनुसार वर्णित गैर वनभूमि ताजिली कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1		लाखा	368	2.25
		कुल	1 किता	2.25

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक नरेन्द्र शर्मा (व.र.)

2 नाका प्रभारी 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
अन्ता जिला बारां

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी 6/9/17

2 कानूनगो 6-9-17

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड–शाहाबाद

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न राजस्व परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलेक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से नियमानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता नाम गोरसन की जिनवसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि नामांतरण कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह राजस्व गैर वनभूमि पूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा कब्जे पर आकर संभाल ली गई है।

क्रम	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1		गोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 किता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक

2 नाका प्रभारी

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी [redacted] अधिकारी [redacted] जि0 बारां

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 पटवारी

2 कानूनगो

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड–शाहाबाद

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

का नाम :- ताखा

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

वार हल्का :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

.अभि.नि. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 105

जिला :- बारॉं

खाता संख्या पुराना :- 100

काश्तकार का नाम:-

1. उपवन संरक्षक बारां वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
368	2.2500	जंगलात	2.2500	0.00			
कुल खसरे - 1	2.2500		2.2500				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड–शाहाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारॉं

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

...त नाम :- मोरगन	अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
...ार हल्का :- मोरगन	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
अभि.नि. :- मोरगन	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- अन्ता	खाता संख्या नया :- 617
जिला :- बारां	खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1173	19.1500	गैं.मु.जंगल	19.1500	0.00			
1175	19.7600	गैं.मु.जंगल	19.7600	0.00			
1176	2.0000	गै.मु.जंगल	2.0000	0.00			
1177	18.6600	गै.मु.बरड़ा	18.6600	0.00			
1527	26.0000	गैं.मु.जंगल	26.0000	0.00			
1528	32.8500	गैं.मु.जंगल	32.8500	0.00			
1529	31.5000	गैं.मु.जंगल	31.5000	0.00			
1530	17.6000	गैं.मु.जंगल	17.6000	0.00			
1531	21.0000	गैं.मु.जंगल	21.0000	0.00			
1532	20.0000	गैं.मु.जंगल	20.0000	0.00			
1533	15.0000	गैं.मु.जंगल	15.0000	0.00			
1543	12.4900	गैं.मु.जंगल	12.4900	0.00			
1544	11.4500	गैं.मु.जंगल	11.4500	0.00			
1548	24.3600	गैं.मु.जंगल	24.3600	0.00			
1552	20.0000	गैं.मु.जंगल	20.0000	0.00			
1781	15.2600	गैं.मु.जंगल	15.2600	0.00			
1784	6.3100	गैं.मु.जंगल	6.3100	0.00			
1785	9.0000	गैं.मु.जंगल	9.0000	0.00			
1786	9.0000	गैं.मु.जंगल	9.0000	0.00			
1787	9.0000	गैं.मु.जंगल	9.0000	0.00			
1788	9.0000	गैं.मु.जंगल	9.0000	0.00			
1789	9.0000	गैं.मु.जंगल	9.0000	0.00			
1790	13.3400	गैं.मु.जंगल	13.3400	0.00			
1791	6.0000	गैं.मु.जंगल	6.0000	0.00			
1795	12.0000	गैं.मु.जंगल	12.0000	0.00			
1796	11.1000	गैं.मु.जंगल	11.1000	0.00			
1796/1968	0.9000	गैं.मु.जंगल	0.9000	0.00			
1797	8.0000	गैं.मु.जंगल	8.0000	0.00			
1798	12.0000	गैं.मु.जंगल	12.0000	0.00			
1799	7.5600	गैं.मु.जंगल	7.5600	0.00			
2136/1524	20.0600	गैं.मु.जंगल	20.0600	0.00			

CS

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड–शाहाबाद

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

525	21.3800	गैं.मु.जंगल	21.3800	0.00
526	16.0600	गैं.मु.जंगल	16.0600	0.00
1176	16.0600	गैं.मु.बरड़ा	16.0600	0.00
सरे - 34	502.8500		502.8500	

पत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

ा उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

ल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

(सहायक अभियन्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड–शाहाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ा नाम :- बिलेण्डी

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

र हल्का :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भि.नि. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

सील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 78

ला :- बाराँ

खाता संख्या पुराना :- 78

श्तकार का नाम:-

1. उप वन सरक्षंक बारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

सरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
14	5.8000	गै.मु.बरड़ा	5.8000	0.00			
15	9.5800	गै.मु.बरड़ा	9.5800	0.00			
16	7.7000	गै.मु.बरड़ा	7.7000	0.00			
38	10.8100	गै.मु.बरड़ा	10.8100	0.00			
149	3.6300	गै.मु.बरड़ा	3.6300	0.00			
39	13.2000	गै.मु.बरड़ा	13.2000	0.00			
41	5.0000	गै.मु.बरड़ा	5.0000	0.00			
42	6.5200	गै.मु.बरड़ा	6.5200	0.00			
कुल खसरे - 8	62.2400		62.2400				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

CS

हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड–शाहाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बाराँ

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

एक्सप्लेनर | निफ्टी-सेंसेक्स का सिर्फ वैल्यूएशन अधिक होने से भारतीय शेयर बाजार में नहीं आएगी बड़ी गिरावट

शेयर बाजार में 5% करेक्शन कभी भी संभव, गिरावट देगी खरीदारी का मौका

भारतीय शेयर बाजार अभी बुल मार्केट के फेज में है। 2023-24 में आई तेजी से बाजार का वैल्यूएशन बढ़ गया है। डीएसपी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलिओ हेड और फ्रीलांस मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट साहिल कपूर ने पत्रिका से खास बातचीत में कहा निफ्टी 50 इंडेक्स अपनी कमाई से 22.5 गुना पीई पर ट्रेड कर रहा है। ये बाजार में 5% करेक्शन संभव है। बाजार में अगर गिरावट आती है तो यह निवेशकों के लिए खरीदारी का शानदार मौका देगी। आकाश कुमार की साहिल कपूर से बातचीत के प्रमुख अंश...

[Q] शेयर बाजार रेकॉर्ड ऊंचाई पर है, ऐसे में अभी खुदरा निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए?

भारतीय शेयर बाजार में मिड और लॉन्ग टर्म में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि पिछले 4 महीने में ही बाजार में 14% की तेजी आई है और वैल्यूएशन बढ़ गया है, जिससे शॉर्ट टर्म में गिरावट की आशंका है। लेकिन सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ने के कारण बाजार में बड़ी गिरावट नहीं आएगी। घरेलू मोर्चे पर ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिससे यह लगे कि बाजार में बड़ी गिरावट आएगी। हालांकि अभी खुदरा निवेशकों को अभी एक्सपर्ट सलाहों से बचना चाहिए और कम्पाउंड तरीके से इन्वेस्टमेंट में नया निवेश करना चाहिए। निवेशकों को करेक्शन का इंतजार करना चाहिए।

पत्रिका रीडर्स फेस्ट

साहिल कपूर, पोर्टफोलिओ हेड, डीएसपी म्यूचुअल फंड

[Q] पिछले तीन माह में मिड-स्मॉलकैप शेयरों में बड़ी तेजी आई है। आगे कैसा रुझान रहेगा?

अच्छे निवेशक और स्मॉलकैप शेयर अगले कुछ वर्षों तक आकर्षक बने रहेंगे और इनमें इनसे डिजिट में रिटर्न मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। रेकॉर्ड तेजी के बावजूद इनका वैल्यूएशन आकर्षक है और इन कंपनियों की कमाई भी बढ़ रही है। वैल्यूएशन के मोर्चे पर भारत ही नहीं, यूनियाबार में स्मॉलकैप कंपनियां बेहतर स्थिति में हैं। इनमें अगले 2 साल तक तेजी जारी रहने की उम्मीद है।

[Q] किन सेक्टर के शेयर, पोर्टफोलिओ के पास होना चाहिए?

हम युवा आबादी को देखते हुए बढ़ने की उम्मीद है। हमें निवेशकों को कंजम्पशन पर फोकस करना चाहिए। भारत बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनांशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर के साथ कंजम्पशन अच्छा लग रहे हैं।

इक्फाई यूनिवर्सिटी में उद्भव-2023 संपन्न

जयपुर, इक्फाई यूनिवर्सिटी की ओर से छात्राओं द्वारा फैशन पार्टी उद्भव-2023 का आयोजन किया गया। सप्ताहांत के इस वर्ष के शीर्ष भारतीय सिनेमा के सौ वर्षों में छात्रों ने विभिन्न प्रकार के नृत्य एवं गीतों से समां बांध दिया। विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डॉ. एस.पी. सिंह ने विद्यार्थियों से संबोधित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सेंसेजोर्ट विभाग की डीन डॉ. पी. जैन, सीनियर एडवाइजर डॉ. एस.एस.जैन एवं रजिस्ट्रार डॉ. प्रेम आर्य भी उपस्थित थे।

गोविन्दम टावर का स्वतंत्रता दिवस ऑफर

जयपुर, गोविन्दम ग्रुप के नीरढ मोड स्थित प्रोजेक्ट गोविन्दम टावर में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक मनाए जा रहे गणतंत्र दिवस ऑफर को ग्राहकों का भारी समर्थन मिल रहा है। यह ग्राहकों द्वारा विशेष ऑफर का लाभ उठाते हुए फ्लैटस की बुकिंग करवाई जा रही है। चेयरमैन गोविन्द अग्रवाल ने बताया कि यह प्रोजेक्ट राजस्थान के सबसे आधुनिक आवासीय योजनाओं में से एक है। प्रोजेक्ट में सेलब्रेशन हाउस, स्पिनिंग पूल, गार्डन, जिम, स्क्वाईमी, मिनी थिएटर, 24 घंटे सिक्योरिटी की व्यवस्था है।

OFFICE OF ADDITIONAL CHIEF ENGINEER, WATER RESOURCES ZONE, BANSWARA
Wahi Colony, Udaipur Road, Banswara (Rajasthan) 327001, email: acewrzone@gmail.com
No. ACE/WR/Tech/2023-24 Date 11.07.2023
INVITATION FOR BIDS
SHORT TERM NIT NO. 8 (F) of year 2023-24
Name of work: Construction of Pucca Cross Drain on Cross Road at LMC from RD 15 to RD 18 in Chhoti Dungri Distributary Minor 4 in Sphoorti Minor Branch Canal
Estimated Cost of work: Rs 12.15 Lac
Earnest Money: Rs 24300/-
Time of completion: 3 Months
Date, Time and place of publication of tender notice: 11.07.2023 Time 11:00 AM in the office of the Additional Chief Engineer, Water Resources Zone Banswara
Last Date for receipt of tender: 31.07.2023 upto 12:00 PM
Time and place of opening of tender: 31.07.2023 Time 11:00 AM in the office of the Additional Chief Engineer, Water Resources Zone Banswara
Time and place of opening of tender: Office of Superintending Engineer, Construction Circle, Kota, Project Banswara
Details of tender fee, earnest money, performance guarantee, security deposit, etc. Tender fee Rs. 500/- Earnest money Rs. 24300/- Performance guarantee 5% of tender value, security deposit 2.5% of tender value
Additional Chief Engineer, Water Resources Zone Banswara
DIPR/C/10724/2023

एचएसबीसी रिपोर्ट: अनाज की कमी से भारत में और बढ़ सकती है खुदरा महंगाई दर

स्टॉक लिमिट बेअसर, नहीं सस्ता हुआ गेहूं-आटा और दाल, तेल भी हुआ महंगा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. केंद्र सरकार की ओर से सभी खाद्य पदार्थों के भंडारण पर स्टॉक लिमिट लगाने के बावजूद गेहूं और दाल की कीमतों में तेजी पर लगाम नहीं लगी है। साथ की खाद्य तेल की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। वहीं ग्लोबल फाइनेंशियलस कंपनी एचएसबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल देश में अल-नीनो के असर के कारण चावल का उत्पादन घटने की आशंका है। इससे देश में अनाज की कमी हो सकती है और कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है।

हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में सब्जियों की कीमतों की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जहां तीन खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों में चिंतित हैं, वहीं मुख्य समस्या चावल-गेहूं की कीमतों को लेकर है। एचएसबीसी के मुताबिक, 2023-2024 में खुदरा महंगाई 5% पर रहेगी। अनाज की कीमतों में तेज वृद्धि होती है तो महंगाई और बढ़ेगी।

डेढ़ माह में इतने बढ़ गए दाम

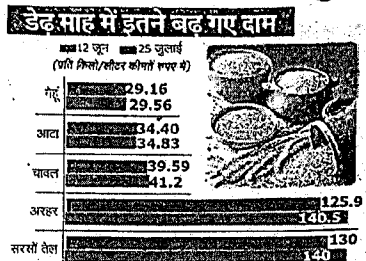

स्टॉक लिमिट लगाने का असर नहीं

केंद्र सरकार की सख्ती का गेहूं की कीमतों पर खास असर नहीं दिख रहा है। सरकार ने जून में गेहूं सस्ता करने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई थी। लेकिन स्टॉक लिमिट के बाद गेहूं की कीमतों में गिरावट नहीं आई है। सरकार खुले बाजार में गेहूं की बिक्री कर रही है, लेकिन इससे भी गेहूं सस्ता नहीं हुआ है। त्योहारों में गेहूं और महंगा हो सकता है। इनमें मिलेगी राहत...: इंडस्टर की कीमतों में दो महीने में कमी आ सकती है। साथ ही दाल, चीनी और तिलहनों की कीमतों में तेजी रुकेगी।

...इसलिए बढ़ सकती है गेहूं-चावल की कीमतें

- उत्तर परिणाम भारत में चावल की पैदाल अच्छी तरह से नहीं लगाई गई है। **दक्षिण और पूर्वी भारत में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। इससे चावल उत्पादन घट सकता है।**
- अगर चावल का उत्पादन प्रभावित होता है तो इससे गेहूं की कीमतें बढ़ सकती है, जिसका **उपयोग चावल के विकल्प के रूप में किया जाता है।**
- अल-नीनो का असर अनाज की कीमतों को प्रभावित कर सकता है और उन्हें बढ़ा सकता है। **कीमतों में बढ़ोतरी पूरे साल जारी रह सकती है।**

कार्यालय ओएचकेएस पारिकरण, जोधपुर
ई-निविदा सूचना संख्या-जोन जीएफई/03/2023-24
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के ओर से अधिकारिक एवं सत्यापित निकाय के नियमानुसार पंजीकृत फर्मों से ऑनलाइन कोटेशन से सिलिंग कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदाएं कैसे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदाएं प्राप्त और खोलने की तारीख विवरण वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in, www.jodpurjda.org, www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।
NIB Code: JOD23244005, UBN No.: JOD23244WS0500150
राज.सम्पर्क/23/6343 अतिरिक्त अभियंता (वित्त)

कार्यालय नगर पालिका, रावतसरा जिला-हिसार (राज.)
क्रमांक / नगरा / निकाय / 2023-24/ 327 दिनांक — 20.07.2023
--:: ई-निविदा संशोधन सूचना ::--
तकनीकी सूचना कार्य सम्बन्धित की सूचित किया जाता है, कि नगरपालिका रावतसरा द्वारा जारी ई-निविदा सूचना संख्या 03/ 2023-24 क्रमांक / नगरा निकाय / 2023-24/ 321 दिनांक 19.06.2023 एवं एन ई-निविदा के क्रम में जारी ई-निविदा संशोधन सूचना क्रमांक / नगरा / निकाय / 2023-24/ 314 दिनांक 12.07.2023 में अधिकारी कारणों से निम्न तिथि तालिकानुसार निविदा की दिनांक व समय में संशोधन किया जाता है।

क्र.सं.	विवरण	पूर्व में दिनांक व समय	संशोधित दिनांक व समय
1	निविदा आमंत्रण/आरम्भ की तारीख दिनांक व समय	22.06.2023 प्रातः 10:00 बजे से 20.07.2023 तक 05:00 शाम तक	22.06.2023 प्रातः 10:00 बजे से 29.07.2023 तक 05:00 शाम तक
2	निविदा शुल्क डी.डी./प्रोसिडिंग शुल्क डी.डी./ प्रोसेसिंग फीस डी.डी. बीडिंग क्रय के नगरपालिका कार्यालय में जमा करने की दिनांक व समय	21.07.2023 प्रातः 02:00 बजे तक	31.07.2023 प्रातः 02:00 बजे तक
3	निविदा खोलने की दिनांक	20.07.2023 प्रातः 11:00 बजे	04.08.2023 प्रातः 11:00 बजे

शेष शर्तें ई-निविदा सूचना संख्या 03/ 2023-24 क्रमांक / नगरा / निकाय / 2023-24/ 321 दिनांक 19.06.2023 के अनुसार ही रहेंगी।
क्रमशः
नगर पालिका, रावतसरा
राज.सम्पर्क / सी / 23 / 6316
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, रावतसरा

परीक्षा नियंत्रक
राज.सम्पर्क / सी / 23 / 6314

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER WATER RESOURCES ZONE JAIPUR
No. 1949 Date: 20/7/23
On behalf of the Governor of Rajasthan, bid for the work "Construction of Anicut at Banas River Near Village Bhukha GP Bhukha Tehsil Malarna Doongar District Sawai Madhopur" (Tie 5017.53 Lac) is invited from eligible bidders up to 06 00 PM on dated 07.08.2023 and technical bid will be opened on dated 08.08.2023 at 3 00 PM.
Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state.
NIB No.: WRD2324A0272
UBN No.: WRD2324WZL0000810
Additional Chief Engineer Water Resources Zone Jaipur
DIPR/C/10803/2023

कार्यालय प्रधिकृत अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव जमवारामगढ़
क्रमांक/4131 दिनांक 12.07.2023
नोटिस
राजस्थान वन अधिनियम 1953 (संशोधित अधिनियम 2012) की धारा 52 उपधारा (1) अन्तर्गत वन अपराध में अधिकारी की गई वन क्षेत्र एवं वनभूमि की धारा 52 (3) के अन्तर्गत अधिकारी करने के कारण में।
विषय
श्री मोती प्रसाद पेरन पुत्र श्री गिरधारी लाल
जिला भरतपुर वनमण्डल वन संरक्षण (वन्यजीव) जमवारामगढ़, जयपुर
वन क्षेत्र वन्य, पर केवल वन अधिकारी, जमवारामगढ़ ने ने एक भूमि आर. साइज 123.81 हैक्टेयर 30.03.2023 में दर्ज प्रकरण प्रस्तुत किया है। जिसमें राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29, 31, 52, 52/77 एवं कन्जरवेशन सायल अधिनियम 1972 की धारा 29, 31, 50/51 का उल्लंघन करने पर उन्होंने के कारण एक एवं अपराध मानते हुए नोटिस जारी की गई थी। उक्त प्रकरण सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारी करने के कारण में निम्नानुसार विचारार्थ है:
श्री मोती प्रसाद पेरन पुत्र श्री गिरधारी लाल निवास ग्राम ने ने अपने निवास स्थान पर 30.03.2023 को दर्ज प्रकरण में वन अधिनियम 1953 की धारा 29, 31, 52, 52/77 एवं कन्जरवेशन सायल अधिनियम 1972 की धारा 29, 31, 50/51 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर उन्होंने के कारण एक एवं अपराध मानते हुए नोटिस जारी की गई थी। श्री मोती प्रसाद पेरन पुत्र श्री गिरधारी लाल ने अपने जवाब में एक पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उन्होंने के कारण एक एवं अपराध मानते हुए नोटिस जारी की गई थी। उक्त प्रकरण में

TIMES OF INDIA 07/09/2023

रिकॉनिंग से तलाश करें

Government of India
Ministry of Minority Affairs
Public Notice

The Ministry of Minority Affairs in collaboration with CSC e- Governance Services Limited is organizing a special drive to re-validate the applications and verification of State Nodal Officers/District Nodal Officers/Head of Institutes/Institute Nodal Officers and applicants through Aadhaar based Biometric authentication for the scholarships of Ministry of Minority Affairs for the year 2022-23

2. The process has been started with effect from 01.08.2023 and will be completed by 8th September, 2023. All concerned are hereby informed to ensure their bio-metric Aadhaar authentication by visiting special camps being organized at district and Institute level by concerned District Level Nodal Officer and Head of Institutes respectively as per schedule provided. For further details please log on to www.https://scholarships.gov.in and alternatively may call to Helpline at 011-24364311

(Under Secretary, Scholarships)
SS-15/8/2022-Scholarship-MoMA

CBC 27101/11/0007/2324

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Integrated Regional Office, Gandhinagar

Online Proposal No. FP/RJ/ROAD/424482/2023 — Dated: 13/07/2023

To
Additional Chief Secretary
(Environment & Forest), Rajasthan
Jaipur

Subject: Proposal for non-forestry use of 4.758 ha of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of M/s Ministry of Road Transport & Highways for Nagaur Territorial Division in NAGAUR Forest Division, District (RAJASTHAN) – reg.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the online proposal no. FP/RJ/ROAD/424482/2023 dated 01/04/2023 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section '2' of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Central Government under Rule 6 of the Forest (Conservation) Rule, 2022 framed under Forest Conservation Act 1980. After careful consideration and approval of the proposal by the Central Government, I am convey the "In-Principle"/Stage-1" approval of the Central Government under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for the Proposal for non-forestry use of 4.758 ha of forest land and maximum felling of 4 trees under Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of M/s Ministry of Road Transport & Highways for Nagaur Territorial Division in Forest Division, District NAGAUR (RAJASTHAN) subject to the fulfilment of the following conditions:

1. General Conditions

Sr.No	Conditions
1.1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged
1.2	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale
1.3	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years
1.4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard
1.5	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India
1.6	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned
1.7	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required
1.8	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar
1.9	No labour camp shall be established on the forest land
1.10	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas
1.11	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal
1.12	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government
1.13	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government
1.14	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused
1.15	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department
1.16	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF
1.17	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project
1.18	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State
1.19	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year
1.20	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
1.21	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project
1.22	Grant of working permission to the instant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 26.08.2019
1.23	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 14 ha degraded forest land at Village- Mogoan, Tehsil- Parbatsar, District- Nagaur of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided

2. Standard conditions

Sr.No	Conditions
2.1	The user agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years. The user agency shall also submit design of providing at least 2-3 rows of long rotation indigenous trees as per provision of IRC-SP-21-2009 (Guidelines on landscaping & tree plantation) on either side of the road before final clearance.
2.2	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.
2.3	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to waterlogging, and also does not hamper movement of wild animals

3. Specific Conditions

After receipt of the compliance report on the fulfilment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Government in this regard

Central Electricity Regulatory Commission
Ground Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi-110001
Website: www.cercind.gov.in

ADMN-12013/1/2019 CERC — Dated: 5th September 2023

FILLING UP OF POST ON DEPUTATION/ SHORT TERM CONTRACT BASIS

Central Electricity Regulatory Commission, statutory body constituted under an Act of Parliament, invites applications for the following posts to be filled up by deputation, on Foreign Service terms/short term contract basis from the Officers of Central/ State Governments, Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies etc.

2. The Pay Band and number of posts are as under:-

S. No.	Name of the post	No. of vacancies	Pay Level in Pay Matrix
1.	Deputy Chief (Legal)	2 (Two)	Level-12 (78,800-2,09,200/-)
2.	Integrated Financial Advisor (IFA)	1 (One)	Level-12 (78,800-2,09,200/-)
3.	Assistant Chief (Engg.)	3 (Three)	Level-11 (67,700-2,08,700/-)
4.	Assistant Chief (Eco)	1 (One)	Level-11 (67,700-2,08,700/-)
5.	Assistant Chief (Legal)	1 (One)	Level-11 (67,700-2,08,700/-)
6.	Assistant Chief (MIS)	1 (One)	Level-11 (67,700-2,08,700/-)
7.	Assistant Chief (Finance)	2 (Two)	Level-11 (67,700-2,08,700/-)
8.	Assistant Chief (RA)	1 (One)	Level-11 (67,700-2,08,700/-)
9.	Assistant Secretary (FOH)	1 (One)	Level-11 (67,700-2,08,700/-)
10.	Assistant	6 (Six)	Level - 6 (35,400 - 1,12,400)

3. Details of essential qualifications, experience etc. and other terms and conditions of service and format of application are available in the website https://cercind.gov.in

4. The applications as per prescribed format must reach the undersigned by Thursday, 19th October 2023.

(Sachin Kumar)
Assistant Secretary(P&A)
Tel.: 2375 3921

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/
Integrated Regional Office, Jaipur

ए 218 व बी 218 "अरण्य भवन" झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 /
A-218 & B-218, "Aranya Bhawan", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No : 0141-2713858, 2713786 Email : iro.jaipur-mefcc@gov.in

दिनांक : 20th फरवरी, 2023

सेवा में,
शासन सचिव (वन),
[illegible], राजस्थान शासन
जयपुर, राजस्थान।

(Online Proposal No : FP/RJ/DISP/50853/2020)

विषय : **Diversion of 0.60 ha (0.95 ha) of forest for construction of CHC, in Forest Block - Nechhawa (PF), Village - Nechhwa, Tehsil - Laxmangarh, District-Sikar, Rajasthan - Regarding.**

सन्दर्भ : शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक-प. 1(75)वन/2021, जयपुर, दिनांक-14.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रस्ताव प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त निर्दशित परियोजना हेतु 0.60 हे० वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं 26 वृक्षों के पातन को सैद्धान्तिक स्वीकृति (In-Principle/Stage-I Approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

A : Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department :

1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years
2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.60 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-1/2011-FC(Vol-I) dated 06.01.2022 in this regard.
3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer.
6. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.
7. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval :

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non- forest land for the project is handed over to the User Agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.25 ha degraded forest land, Survey No. 925 & 926 (Old Khasra No. 528), Village- Nechhwa, Tehsil & Range- Laxmangarh, District- Sikar, Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
4. User agency shall restrict the felling of trees to 26 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
5. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
6. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
7. No labour camp shall be established on the forest land.
8. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
9. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
10. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
11. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
12. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India
14. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.
15. The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
16. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29.01.2018.
17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
18. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

C : Specific Conditions :

1. **Boundary wall of 6 (six) feet height will be constructed along the boundary near habitation to protect forest land from encroachments at the cost of User Agency.**
2. **No construction of Residential Buildings will be carried out on Forest Land.**
3. **After construction of boundary wall the remaining Nachwa Forest Block shall be properly surveyed and demarcated and the encroachment if any has to be removed.**
4. **There are multiple roads seen in forest block, these roads should be closed except single road for use.**

After receipt of compliance report on fulfilment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/Stage-II approval is granted by the Central Government in this regard.

Further, it may also be noted that the In-principle / Stage-I approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after five (05) years.

भवदीय
ह०/-
(श्रवण कुमार वर्मा)
उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी

DIPR/C/13011/2023

Punjab State Power Corporation Limited
(Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala-147001)
Corporate Identity Number : U40109PB2010SGC033813
Website : www.pspcl.in Mobile No. 96461-10614

E-Tender Enq. No. 482/P-1/EMPW-12404 dated 05.09.23

Dy. Chief Engineer/ Headquarter (Procurement Cell-1) GGSSTP, Roopnagar invites E-Tender ID No. 2023_POWER_108671_1 for the work of Routine Cleaning of Tech & Non-Tech Buildings and boiler area including toilets and cleaning of sewerage line at GGSSTP, Ropar.

For detailed NIT & Tender Specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in from 08.09.23/05:00 PM onwards.

Note :- Corrigendum & addendum, if any will be published online at https://eproc.punjab.gov.in

[illegible]

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024
Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: [illegible]

[illegible]

DIPR/C/10771/2023

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024
Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email (Env.) ro_env@rediffmail.com,
(Forest) polmoefroiko@gmail.com

[illegible]

(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/RJ/Road/1956/2014)

[illegible]

(Baran Road)/2014/[illegible]

[illegible] II/FC/KOC/45-2011/Part-V/1323 [illegible]

[illegible]

DIPR/C/10772/2023

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

[illegible] सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद